Email id -
seeudc1gzb@gmail.com
CUG Mob.-9193320111
CIN:U31200UP2003SGC027458

कार्यालय
अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
ए–ब्लॉक, हाईडिल कॉलोनी, कविनगर,
गाजियाबाद।

पत्रांक 808 / वि0न0वि0म0–प्रथम / गा0बाद दिनांक 27/06/24

विषयः–विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु आदेश।

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक
दैनिक जागरण, नई दिल्ली।

विज्ञापन व्यवस्थापक
हिन्द आत्मा, गाजियाबाद।

महोदय,

आपके प्रतिष्ठित दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र के एक अंक में आपके यह उपलब्ध छोटे से छोटे टाइप और कम से कम स्थान में दो कॉलम साइज में दिनॉक **28.06.2024** तक को प्रकाशनार्थ संलग्न विज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। हैडिंग व नीचे के नाम व पते में भी बडा टाइप न लगायें तथा नाम व पता एक ही लाइन में छापें। विज्ञापन में शीर्ष पर पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0 का मोनोग्राम एंव सबसे नीचे इस आदेश की संख्या व दिनॉक भी छोटे से छोटे टाईप में अवश्य प्रकाशित करें। इस निर्देशों के विपरीत छपे विज्ञापनों के बीजकों में आवश्यक कटौती करने के लिए पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0 बाध्य होगा।

1. स्थानीय प्रकृति की सूचना जैसे–बिजली बंद रहने की सूचना, उपभोक्ता शिविर लगने की सूचना, बिजली बिलों के सम्बन्ध में सूचना आदि का प्रकाशन यथा सम्भव समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर तथा ई–निविदा सूचनाओं का प्रकाशन ई–निविदा हेतू निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्ययवस्था सुनिश्चित करें।
2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतू प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क की बीजक तीन प्रतियों मे अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की सम्पूर्ण वाउचर प्रतियां संलग्न करते हुए भुगतान हेतू प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विक्टोरिया पार्क, मेरठ को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन भुगतान सम्भव न होगा।
3. संलग्न हिन्दी/अंग्रेजी विज्ञापन का प्रकाशन हिन्दी भाषा में 8–10 प्वाइंट टाईप में एक ही कॉलम में किया जाये। अंग्रेजी भाषा सामग्री का प्रकाशन हिन्दी भाषा में अनुवाद के पश्चात ही करें जिसके लिए समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नही होगा।
4. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्वतः एक सप्ताह के अन्दर विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बधित बीजक का सत्यापन भुगतान नही किया जायेगा।
5. टेन्डर/सूचना इत्यादि यदि आपको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापन देय स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन प्रकाशित न करें। अधोहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्व इस आशय से सूचना देने का कष्ट करें।

विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाईप में "राष्ट्र हित में बिजली बचायें" का नारा तथा विद्युत चोरी का हेल्प लाइन नम्बर अवश्य दें।

<u>संलग्नकः–विज्ञापन सामग्री</u>

भवदीय

(महफूज़ आलम)
अधीक्षण अभियन्ता

Superintending Engineer
Electricity Urban Distribution Circle-I
Ghaziabad

पत्रांक : 808 / वि0न0वि0मण्डल–प्रथम / गा0बाद दिनांकः– 27/06/24

प्रतिलिपि निम्न को विज्ञापन सामग्री सहित सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा को निगम की वेबसाईट पर डलवाने की कृपा करें।
2. मुख्य अभियन्ता(वि0),गाजियाबाद क्षेत्र–प्रथम, गाजियाबाद।
3. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ। (ई–मेलः–propvvnlmrt@gmail.com)
4. सम्बन्धित निविदा पत्रावली।

(महफूज़ आलम)
अधीक्षण अभियन्ता

Superintending Engineer
Electricity Urban Distribution Circle-I
Ghaziabad

पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

ई–निविदायें क्रमशः–**08/2024-25/EUDC-I/GZB** घरोहर–1170, वि0न0वि0ख0–नवम, गा0बाद के अन्तर्गत मैसर्स वेव सिटी के भार वृद्धि सम्बन्धी कार्य। **09/2024-25/EUDC-I/GZB** घरोहर–37150, वि0न0वि0ख0–पंचम गाजियाबाद के अन्तर्गत चिपियाना बुजुर्ग रेलवे क्रासिंग नं0–152ए0 एवं 152बी0 गौतमबुद्धनगर की 11 केवी0 एवं 33 केवी0 लाईन को भूमिगत करने सम्बन्धी कार्य। ये निविदाये दिनांक 13.07.2024 12:00 तक भरी एवं उसी दिन 17:00 खोली जायेगी। किसी भी संसोधन/सूचना https://etender.up.nic.in तथा www.pvvnl.org पर देखी जा सकती है।

अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम, गाजियाबाद

Superintending Engineer
Electricity Urban Distribution Circle-I
Ghaziabad

''राष्ट्रहित में बिजली बचायें''

पत्रांक.....................   दिनांक.........................

टिप्पणी एवं आदेश

मुख्य **अभियन्ता** (वि0), गा0**बाद क्षेत्र–प्रथम, गाजियाबाद।**

महोदय,

कृपया सादर संज्ञान में लाना है कि विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम, गाजियाबाद के अधीन **विद्युत** नगरीय वितरण **खण्ड–पंचम, गा0बाद के कार्यक्षेत्र के कार्यक्षेत्र में उपमुख्य अभियन्ता/निर्माण** नार्दन **रेलवे** एन0डी0सी0आर0 **बिल्डिंग सेकेण्ड फ्लोर स्टेट एन्ट्री रोड–द्वितीय, नई दिल्ली के अनुरोध पर चिपियाना बुजुर्ग रेलवे क्रासिंग** नं0–**152 ए निकट कॉर्बन कान्टिनेन्टल फैक्ट्री, गाजियाबाद एवं चिपियाना बुजुर्ग रेलवे क्रासिंग** नं–**152 बी** गौत**मबुद्धनगर की 11 केवी0 एवं 33 केवी0 ओवरहैड लाईन को ओवरहैड/भूमिगत करने सम्बन्धी समस्त कार्य** पूर्ण जमा योजना मद में बाह्य एजेन्सी के माध्यम से कराये जाने प्रस्तावित हैं।

उपरोक्त कार्य की **प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति** निगम मुख्यालय, मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं0 1127 दि0 25.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्रदान की गयी। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य ई–निविदा के माध्यम से कराये जाने हेतु **अल्पकालीन ई–निविदा प्रकाशन** की अनुमति प्रदान करना चाहें। उपरोक्त कार्य कराये जाने में अनुमानित लागत **रू0 37.14 लाख (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)** आने की सम्भावना है।

अल्पकालीन
ई–निविदा प्रकाशन
हेतु अनुमोदित
मुख्य अभियन्ता (वि0)
गाजियाबाद

(महफूज आलम)
अधीक्षण अभियन्ता,
वि0न0वि0म0–प्रथम, गा0बाद

Superintending Engineer
Electricity Urban Distribution Circle-I

दूरभाष : 0121–2665734
फैक्स : 0121–2666062
सिन–U31200UP2003SGC027458

कार्यालय
प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
ऊर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क, मेरठ

पत्रांक– प0वि0वि0नि0लि0/तक0/प्र.अनु.–5(नो)/(20) दिनांक : 25.06.2024

कार्यालय ज्ञाप

मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र–प्रथम, गाजियाबाद के पत्रांक 1549/मु0अ0गा0क्षे0–प्रथम/गा0बाद/सी0/अनु0 दिनांक 16.05.2024 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम, गाजियाबाद के पत्र संख्या 270/वि0न0वि0म0–प्रथम गाजियाबाद दिनांक 08.05.2024 द्वारा विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम, गाजियाबाद के अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–पंचम, गाजियाबाद के कार्यक्षेत्र में उपमुख्य अभियन्ता/निर्माण, स्टेट एन्ट्री रोड–द्वितीय, नई दिल्ली के अनुरोध पर चिपियाना बुजुर्ग रेलवे क्रासिंग नं0 152 ए निकट कॉर्बन कॉन्टिनेन्टल फैक्ट्री, गाजियाबाद एवं चिपियाना बुजुर्ग रेलवे क्रासिंग नं0–152 बी गौतमबुद्धनगर की 11 केवी व 33 केवी ओवरहैड लाईन को ओवरहैड/भूमिगत करने सम्बन्धी कार्य को अल्पकालीन ई–निविदा द्वारा पूर्ण जमा योजना मद में बाह्य एजेन्सी के माध्यम से कराये जाने हेतु धनराशि रू0 37.14 लाख एवं जी0एस0टी0 अतिरिक्त की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति प्रबन्ध निदेशक महोदया, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ द्वारा निम्नानुसार अधोलिखित शर्तों पर प्रदान की गयी है:–

1. उक्त कार्य हेतु धनराशि का प्राविधान **पूर्ण जमा योजना** मद में उपभोक्ता द्वारा जमा करायी गयी धनराशि से किया जायेगा। पूर्ण धनराशि जमा कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) का होगा।
2. **यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु व्यय की जाने वाली अधिकतम धनराशि (जीएसटी सहित) प्राक्कलन में प्रावधानित स्थानीय अंश से अधिक न हो।**
3. उक्त कार्य ई–निविदा के माध्यम से ही कराया जायेगा।
4. कार्योत्तर प्रांकल्लन सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।
5. 11 के0वी0 अथवा 33 केवी लाईन शिपिटंग का कार्य में तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कराया जायेगा।
6. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के आदेश संख्या 10–कार्य/चौदह–पा0का0लि0/2019–3–के/2000 दिनांक 02.01.2019 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारो के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य कराया जायेगा।
7. इस सम्बन्ध में निगम द्वारा समय–समय पर निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
8. इस कार्य को रेस्पो द्वारा निर्धारित विशिष्टीकरण, मानकों एवं दरों के अनुरूप ही कराया जायेगा तथा कार्य का विश्लेषण करके कम से कम लागत में कराया जायेगा।
9. दरों की औचित्यता सक्षम कार्य समिति द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
10. उक्त कार्य एवं दरों की जिम्मेदारी अधीक्षण अभियन्ता (वि0) की होगी।
11. कार्य कराये जाने पूर्व प्राक्कलन की वांछित सम्पूर्ण धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) जमा कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) का होगा।
12. सम्बन्धित अवर अभियन्ता के द्वारा उपरोक्त कार्य का कार्यत्तर प्राक्कलन बनाया जाएगा एवं तदनुसार मासिक लेखा में आवश्यक प्रविष्ठियां अंकित की जाएगी। इस प्रकार जमा योजना के कार्य में लगाई गई समस्त निगम के assets में सम्मिलित की जायेगी।
13. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के पत्रांक 4512 चौदह/पाकालि/2017–2000–टी–सी0–2017 दिनांक 27.11.2017 के अनुसार डिपोजिट के कार्यों के प्राक्कलन की स्वीकृति से पूर्व उसकी तकनीकी रूप से सम्भव होने की स्वीकृति अगले उच्च अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य है।
14. विद्युत प्रदाय संहिता 2005 में निहित प्राविधानों एवं उ0प्र0पा0का0लि0 लखनऊ के दिशा निर्देशों तथा समय–समय पर उनके संशोधन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. प्राक्कलन उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ के दिशा निर्देश संख्या 15/उ0म0प्र0 (टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2019 दिनांक 09.04.2019 के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।
16. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ के आदेश सं0 1033–कार्य/चौदह–पाकालि/2020–138–के/2011 दिनांक 24.08.2020 के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशो का पालन किया जाना सुनिश्चित करे।

(अरूण कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता (तक0)

पत्रांक : 1127 /प0वि0वि0नि0लि0/तक0/प्र.अनु.–5(नो)/(20)तद्दिनांकः
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक (वित्त), प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।
2. मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र–प्रथम, गाजियाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता–प्रथम (सा0प्र0), प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ को स्वीकृत प्राक्कलन की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्य के लिये केन्द्रीयकृत सामग्री की व्यवस्था करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार मण्डल, मेरठ को स्वीकृत प्राक्कलन की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित सामग्री प्रबन्धन अनुभाग से सामन्वय स्थापित कर सामग्री की व्यवस्था करने का कष्ट करें।
5. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम, गाजियाबाद।

(अरूण कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता (तक0)

सीसी:– निदेशक (तक0) महोदय, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ को सादर अवलोकनार्थ।

176 (NS)

पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0

तिथि विस्तार

एतद्द्वारा इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित ई–निविदा स0 09/2024-25/EUDC-I/ जो 13.07.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक भरी जानी थी, तथा दि0 13.07.2024 को 17:00 बजे खोली जानी थी, की तिथि अपरिहार्य कारणवश दि0 18.07.2024 तक विस्तारित की जाती है। यह निविदा ई–निविदा पोर्टल पर दि0 18.07.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक भरी जा सकती है तथा दि0 18.07.2024 को 17:00 बजे के पश्चात अधोस्ताक्षरकर्ता द्वारा ऑन–लाईन खोली जायेगी।

निविदा की अन्य नियम एवं शर्तें पूर्व की तरह यथावत रहेगी।

अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम,गाजियाबाद

Superintending Engineer
Electricity Urban Distribution Circle-I
Ghaziabad

''राष्ट्रहित में बिजली बचायें''